न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

न0: 79/2017 रजू दिनांकः– 29.06.2017

पीठासीन अधिकारीः– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

1. मोहनलाल पुत्र चिम्मन लाल जाति बैरवा निवासी मेहन्दीपुर बालाजी 11ए/10 त्रिलोकपुरी पूर्वी दिल्ली 1100091
2. लाडबाई बैरवा पत्नि मिश्रीलाल जाति बैरवा निवासी ढाणी लीलक्या डेण्डा बसेडी तहसील सिकराय जिला दौसा।
3. धन्नो पत्नि लल्लूराम जाति बैरवा निवासी ढाणी लीलक्या डेण्डा बसेडी तहसील सिकराय जिला दौसा (मृतक)
   3/1 भरतलाल पुत्र लल्लूराम
   3/2 मीरा पुत्री लल्लूराम
   3/3 काडूराम पुत्र लल्लूराम
   3/4 मनोहर पुत्र लल्लूराम
   3/5 गीता पुत्री लल्लूराम
   3/6 मुनेश पुत्र लल्लूराम
   समस्त जातियान बैरवा निवासी डेन्डान तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. परभाती देवी पत्नि कैलाश चन्द जाति बैरवा निवासी जटवाडा तहसील महवा नांगल सुमेर सिंह दौसा।
5. दुर्गा पत्नि सुखचन्द जाति बैरवा निवासी मेहन्दीपुर बालाजी हाल निवासी झूॅग्गी न0 108 सैक्टर 11 नोएडा गोतमबुद्व नगर
6. प्रेमवती पत्नि भगवानदास जाति बैरवा निवासी बालाजी हाल निवासी हाल निवासी झूॅग्गी न0 108 सैक्टर 11 नोएडा गोतमबुद्व नगर
7. मानो देवी पत्नि धनीराम जाति बैरवा निवासी बालाजी हाल निवासी 9–107/बी रामसुख कैम्प ताजपुर बदरपुर दिल्ली।
8. दीपक कुमार पुत्र भगवानदास जाति बैरवा निवासी मेहन्दीपुर बालाजी हाल निवासी झुग्गी न0 866 सैक्टर न0 11 नोएडा गोतमबुद्व नगर
9. विमलेश पत्नि जगदीश जाति बैरवा निवासी पाटौली तहसील महवा जिला दौसा।
10. दिनेश पुत्र स्व0 भगवानदास नाबालिग जरिये माता प्रेमवती देवी निवासी पाटोली तहसील महवा जिला दौसा।
11. मूलीदेवी पत्नि बाबूलाल जाति बैरवा निवासी मेहन्दीपुर बालाजी हाल निवासी राजेन्द्र पार्क गुडगांव हरियाणा।
12. गीता उर्फ पूजा पुत्री भगवानदास जाति बैरवा निवासी मेहन्दीपुर बालाजी हाल निवासी झुग्गी न0 866 सैक्टर न0 11 नोएडा गोतमबुद्व नगर

वादीगण

बनाम

1. गोविन्द प्रसाद पुत्र रामहरि जाति ब्राह्मण निवासी रा0उ0प्रा0 स्कूल घाटा मेहन्दीपुर बालाजी के पीछे तहसील टोडाभीम जिला करौली।
2. सत्यनारायण पुत्र रामहरि जाति ब्राह्मण निवासी रा0उ0प्रा0 स्कूल घाटा मेहन्दीपुर बालाजी के पीछे तहसील टोडाभीम जिला करौली।
3. सुरेश चन्द पुत्र रामहरि जाति ब्राह्मण निवासी रा0उ0प्रा0 स्कूल घाटा मेहन्दीपुर बालाजी के पीछे तहसील टोडाभीम जिला करौली।
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली। (प्रतिवादीगण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:45:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

दावा बावत इस्तकरारहक(इन्द्राज दुरूस्ती) एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री छुट्टनलाल मीना एडवोकेट (वादीगण)

श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी न0 1 ता 3

निर्णय दिनांकः– 23.06.2025

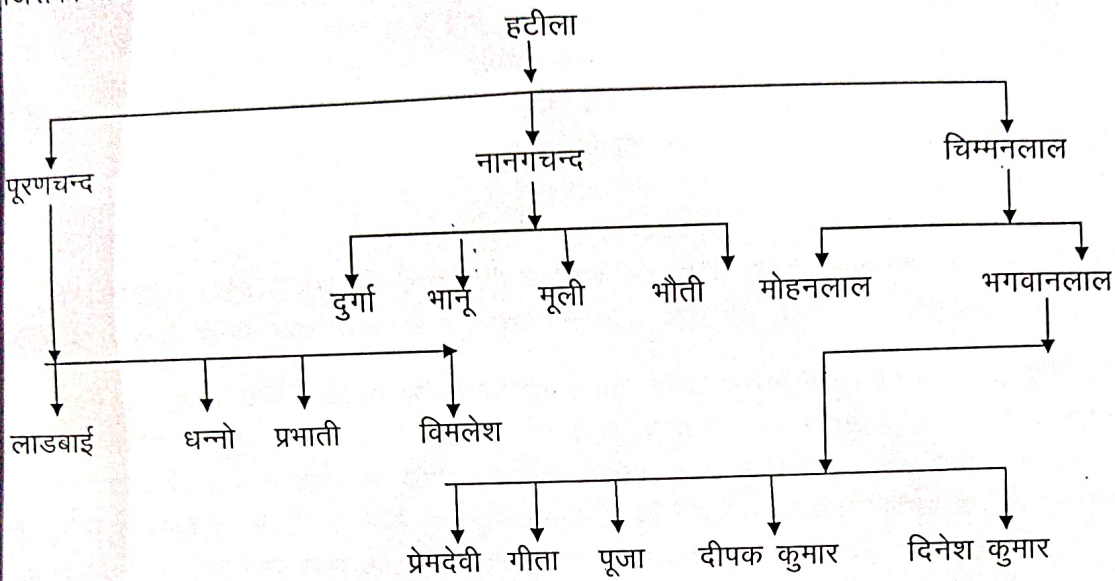

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मेहन्दीपुर बालाजी की साबिक आराजी ख0न0 158 रकवा 3 बीधा 18 बिस्वा से नवीन ख0न0 309/0.88 है0 कायम हुये है, गत ख0न0 158 रकवा 3 बीधा 18 बिस्वा वादीगण के पितामह हटीला राम्वत 2009 राज0 टि0 एक्ट लागू होने से पूर्व से काबिज रहकर काश्त कर मुफिद होता चला आ रहा है। जिसका सजरा खानदान निम्न प्रकार हैः–

उपरोक्त सजरा अनुसार वादीगण के पितामह हटीला की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्रान पून्या, नानगा, चिम्मन के नाम खातेदारी दर्ज की गई, वादीगण अपने कारोबार के सिलसिले मे ज्यादातर दिल्ली मे मजदूरी का कार्य करते है और महिलाए भूमि पर कात करती चली आ रही है प्रतिवादीगण के पिता रामहरि जो कि बहुत चालाक व पैसे का धनी थ जिसने अपने राजनैतिक दबाब व पैसे के बल पर वादीगण को फरार बताकर उनकी भूमि ख0न0 158 रकवा 3 बीधा 18 बिस्वा को जरिये नामांतकरण न0 4 दिनांक 16.02.1968 को गलत तरीके से बिना किसी कानूनी अधिकार के ख0न0 158 को सिवायचक घोषित कर दिया। और सिवायचक भूमि को नामांतकरण न0 50 दिनांक 16.02.1968 को ही अपने नाम रैगुलाईज करवा लिया जो कतई अवैध है कानूनी तौर पर किसी भी खातेदार की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि को सिवायचक घोषित करने या चरागाह घोषित करने से पूर्व खातेदार को सूचना देकर उसके जबाब प्राप्त करने के बाद ही किस्म परिवर्तन की जाती है लेकिन तहसीलदार टोडाभीम ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुये साजसी तौर पर वादीगण की साबिक भूमि खन0 158 को सिवाचयक घोषित करके कानूनी गलती की है इस कारण नामांतकरण न0 49 व 50 के आधार पर जो खातेदारी से वादीगण का नाम [illegible] कर उसे गलत तरीके से सिवायचक घोषित करके प्रतिवादीगण के पिता रामहरि [illegible] ईज करके कानूनी प्रकिया का उल्लधन किया है यह आदेश वादीगण के [illegible] प्रभावहीन व शून्य है। तहसीलदार टोडाभीम के आदेश दिनांक 20.01.1968 [illegible] उसके आधार पर भरा गया नागांतकरण न0 49 व 50 को शून्य घोषित करवाकर प्रतिवादीगण का नाम गत ख0न0 158 जिसके हाल ख0न0 309 कायम हुये है और उसके आधार पर खोले गये नामांतकरण न0 49 व 50 व नामांतकरण के आधार पर जमाबन्दी मे किये गये इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर अपने नाम खातेदारी करवाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:45:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला–करौली

बांका दिनांक 15.05.2017 को वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि तुमने राजस्व ...यो से मिलकर जो हमारे कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि को सिवायचक दर्ज करवाकर ...म रैगुलाईज करवाकर खातेदारी प्राप्त की है उसे हजफ करवाकर पुनः हमारे नाम खातेदारी ...रवादी तो प्रतिवादीगण साफ इन्कार हो गये। व ऐलानिया कहा कि हम न तो तुम्हारे नाम ...री दर्ज करवायेगे बल्कि भूमि मे प्लाटिंग करके दीगर लोगो का कब्जा करवाकर रहेगे और वे ... के बल पर तुमको बेदखल कर कब्जा प्राप्त कर लेगे अगर प्रतिवादीगण अपने नाजायज ...सद मै कामयाब हो गये तो वादीगण को नुकसान होगा जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नही ...सकेगी, इस कारण यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि बाद दावा वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण ...न इस्तदुआ स्वीकार करते हुये डिक्री फरमाया जावे कि ग्राम मेहन्दीपुर के गत ख0न0 158 रकवा ...बीधा 18 बिस्वा वादीगण के पितामह हटीला के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि सम्वत 2009 के ... से ही राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व ही चली आ रही थी और हटीला की मृत्यु के ...श्चात उसके तीनो पुत्रान पून्या, नानगा, चिम्मन के नाम खातेदारी रही है लेकिन प्रतिवादीगण के ...ता रामहरि ने वादीगण को फरार बताकर वादीगण की भूमि ख0न0 158 जिसके हाल ख0न0 309 ...कवा 0.88 है0 कायम हुये है को सिवायचक घोषित करवाकर जरिये नामांतकरण न0 50 ...तिवादीगण के पिता रामहरि ने अपने नाम रैगुलाईज करवाकर जो खातेदारी प्राप्त की है वह ...दीगण के हक हकूक भूमि प्रभावहीन व शून्य है मे प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी से हजफ कर ...ादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया ...ावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे नाही रहन व्यय करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी ...0 4 पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम उपस्थित, प्रतिवादी न0 1 ता 3 ने जरिये वकालत ...जबाब पेश किया कि वादपत्र मे वर्णित साबिक ख0न0 309 रकवा 0.88 है0 प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है प्रतिवादीगण से पूर्व उनके पिता रामहरी पुत्र बालकिशन की खातेदारी मे थी। जिन्होने उक्त आराजी ख0न0 309 रकवा 0.88 है0 का साबिक ख0न0 158 रकवा 3 बीधा 18 बिस्वा को रेगूलाईजर के आधार पर कब्जा प्राप्त किया था। तथा उसी दिन से प्रतिवादीगण के पिता काबिज थे तथा उनके मरने के बाद प्रतिवादीगण काबिज है। इसलिये कब्जे के अभाव मे दावा खारिज होने योग्य है। प्रतिवादीगण के पिता रामहरि व वादीगण के बुजुर्गो के खिलाफ धारा 175, 177 टीनेन्सी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। जो दिनांक 20.11.1976 म्याद बाहर होने के कारण खारिज फरमा दी गई। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर काबिज है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की रिलीफ चाही है। जबकि वादग्रस्त आराजी के प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है। वादीगण का विवादग्रस्त आराजी से कोई संबध किसी प्रकार का नही है। और नाही वादीगण आराजी विवादग्रस्त पर कोई कब्जा है। वर्णित आराजी को वादीगण के बुजुर्गो द्वारा फरारीं के आधार पर सिवाचयक दर्ज होने तथा सिवायचक के बाद प्रतिवादीगण के पिता के नाम रेगूलाईज होने पर कब्जा संभला दिया है इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर काबिज है तथा खातेदारी सही हुई है। इस बिना पर वादीगण का वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

वादपत्र के समर्थन मे निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गई।

1. आया ग्राम मेहन्दीपुर की गत ख0न0 158 रकवा 3 बी[illegible] 18 बि[illegible] पर वादीगण के पितामह हटीला सम्वत 2009 से काबिज रहे है, साबिक ख0न0 158 [illegible] हाल ख0न0 309 रकवा 0.88 है0 बना है, हटीला की मृत्यु के बाद उसके पुत्रान [illegible] चले गये। प्रतिवादीगण के पिता रामहरि ने वादीगण को फरार बताकर प्रतिवादी न0 [illegible] दिनांक 20.01.68 को आदेश कराकर ना0स0 49 दिनांक 23.01.68 से सिवायचक घोषित करा दिया।

(जिम्मे वादीगण)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:45:20 IST
Reason: SelfAttested

तिवादीगण के पिता ने ना0स0 50 दिनांक 16.02.68 से अपने नाम रेगूलाईज करवा लिया। जो कि कानून गलत है। नामा0 न0 49 व 50 के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे किये इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है। वादीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है जबकि प्रतिवादीगण सवर्ण जाति के सदस्य है कानूनन भी इनके नाम खातेदारी दर्ज नही की जा सकती है।

(जिम्मे वादीगण)

3. आया हाल ख0न0 309 रकवा 0.88 है0 पर वादीगण के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करने पुख्ता निर्माण करने, प्लाटिंग नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

(जिम्मे वादीगण)

4. आया उक्त आराजी वादीगण की कभी भी ममलूका मकबूजा की नही रही है बल्कि प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की आराजी है पिता से विरासत मे आराजी प्राप्त हुई है। उक्त आराजी प्राप्त हुई है। उक्त आराजी के सिवाचयक घोषित होने का वादीगण व उनके बुजुर्गो को पूर्व से भान रहा है। वादीगण का कोई कब्जा काश्त नही रहा है। दावा चलने योग्य नही है खारिज फरमाया जावे।

(जिम्मे प्रतिवादीगण न0 1 ता 3)

5. आया उक्त आराजी बावत तहसीलदार टोडाभीम ने प्रतिवादीगण के पिता रामहरि के विरूद्व 175, 177 टिनेन्सी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही म्याद बाहर होने से दिनांक 20.11.76 को खारिज हो गई है इससे स्पष्ट है कि वादीगण का कब्जा नही है।

(जिम्मे प्रतिवादीगण न0 1 ता 3)

6. आया आराजी विवादग्रस्त राज0 टिनेन्सी एक्ट की धारा 63 के तहत तथाकथित वादीगण के समस्त अधिकार 32 साल यानि 2000 मे ही एक्यूगिस हो चुके है। और वादीगण 49 साल की अवधि के पश्चात काई वाद दायर करने के हकदार नही है दावा खारिज होने योग्य है।

(जिम्मे प्रतिवादीगण न0 1 ता 3)

वादपत्र के समर्थन मे वादीगण ने ग्राम मेहन्दीपुर की जमाबन्दी सम्वत 2070—73 प्रदर्श—1, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043—62 प्रदर्श—2 नामांतकरण न0 49 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श—3 नामांतकरण न0 50 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श—4, जमाबन्दी सम्वत 2022—25 प्रदर्श—5, जमाबन्दी सम्वत 2020—23 प्रदर्श—6, जमाबन्दी सम्वत 2018—21 प्रदर्श—7 पेश किये तथा वादी मोहनलाल, धन्नो, प्रभाती, दुर्गा, विमलेश, लाडबाई के शपथ पत्र पेश किये जिनसे प्रतिवादीगण वकील ने जिरह पूर्ण की, तथा प्रतिवादीगण गोविन्दशरण का शपथ पत्र पेश किया।

दौराने पत्रावली वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य मे नियत होने पर उभयपक्षकारान ने वादपत्र मे वर्णित आराजीयात का जरिये वकालतन राजीनामा पेश किया जो वाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया, जिसमे उभयपक्षकारान ने कथन किया है कि

उभयपक्षकारान व उनके वकील द्वारा प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन किया, पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात का अवलोकन किया, कि वादपत्र मे वणित आराजीयात ग्राम मेहन्दीपुर के ख0न0 309 रकवा 0.88 है0 प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। उक्त आराजीयात पूर्व मे प्रतिवादीगण के पिता रामहरि पुत्र बालकिशन के नाम थी व उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी न0 1 ता 3 के नाम आयी है जिस पर प्रतिवादीगण [illegible] वर्ष से काबिज रहे है। वादीगण का उक्त अवधि मे आराजीयात से कोई संबध नही रहा है। [illegible] वर्णित आराजीयात की खातेदारी प्रतिवादी न0 1 ता 3 के नाम रखी जाये तो [illegible] नही है आगे भविष्य मे ख0न0 309 रकवा 0.88 है0 बांके ग्राम मेहन्दीपुर पर खातेदारी व कब्जेकाश्त के संबध मे किसी प्रकार का कोई वाद दायर नही करने के लिये बाध्य एवं पाबन्द र[illegible] हम वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र आवेश व बहकावे मे आकर करवा दिया था। अब हम पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। इसलिये मुताबिक राजीनाम दावा फाईनल डिक्री कर दिया जावे। वादीगण व प्रतिवादी न0 1 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:45:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

प्रस्तुत राजीनामे पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये है तथा फोटो चश्पा किये गये है। उक्त व प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादीगण का दावा बावत इस्तकरारहक, स्थायी निषेधाज्ञा योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्षकारान की प्रस्तुत राजीनामे पर उभयपक्षकारान के समक्ष बहस सुनी गई, पक्षकारान वकील ने वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 ता 3 की उपस्थिति मे कथन किया कि वर्णित राजी ख0न0 309 रकवा 0.88 है0 की वर्तमान जमाबन्दी अनुसार खातेदारी प्रतिवादी न0 1 ता 3 नाम दर्ज रिकार्ड है जिसे यथावत रखा जावे, वादीगण वकील का कथन रहा कि वर्णित राजीयात से हमारा कोई संबध है और नाही भविष्य मे रहेगा, इसलिये वर्णित आराजीयात को प्रतिवादीगण न0 1 ता 3 के नाम खातेदारी यथावत रखी जाकर दावा फाईनल डिक्री कर दिया जावे।

उभयपक्षकारान वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम मेहन्दीपुर की जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के ख0न0 309 रकवा 0.88 है की खातेदारी प्रतिवादी न0 1 ता 3 के नाम दर्ज रिकार्ड है। उभयपक्षकारान वकील व उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तथा आदेशिका पर उभयपक्षकारान द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर हस्ताक्षर किये तथा उनके हस्ताक्षर को उभयपक्षकारान वकील द्वारा प्रमाणित किये जाने से वादीगण का दावा मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम मेहन्दीपुर की आराजी ख0न0 309 रकवा 0.88 है0 मे प्रतिवादी न0 1 ता 3 वर्तमान मे खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड होने पर वर्णित आराजीयात की खातेदारी वादीगण तथा प्रतिवादीगण के राजीनामा अनुसार प्रतिवादी न0 1 ता 3 के नाम दर्ज रिकार्ड रहेगी। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला–करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला–करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:45:20 IST
Reason: SelfAttested